

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 859 / 14-1 दिनांक : आगरा : अगस्त, 30 2023
सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय : जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बाँईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बाँईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक, एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जनवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-8वी/यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ.सी./153 दिनांक 31.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति का निस्तारण कर अनुपालन आख्या संस्तुति सहित निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है :-

क्र०सं०	आपत्ति	अनुपालन
1.	As per kml file and area prooposed for diversion is 0.0507 ha, which is not matching with the proposal area. kml file of the area proposed for diversion needs to be rectified. The complete kml file of the area proposed for deversion need to be uploaded on PARIVESH portal.	कै०एल०एल० फाइल में प्रस्तावित क्षेत्र संशोधित कर दिया गया है।
2.	CA needs to be proposed in equivalent non-forest land. Accordingly , CA scheme, kml file and related documents need to be uploaded on PARIVESH portal.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का संशोधित कै०एल०एल० फाइल, भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन तथा जीयो रिफ्रेंशमैप संलग्न है।

भवदीय

A. Kumar

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 859 / दिनांकित

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण को) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

A. Kumar

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा